

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: अधिसूचना --:

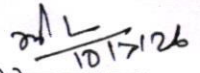
संचिका सं०-स०क०निग०-133/2023-.....**3701**...../निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक- 4221 दिनांक-02.08.2023 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, सेवानिवृत्त लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया के बकाया वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष दायर वाद संख्या-5603/04/01/2022 में दिनांक-22.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में संबंधित लिपिक के बकाया वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान करने हेतु आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा बार-बार स्मारित करने के बावजूद तत्परता नहीं बरते जाने के आधार पर श्रीमती बबीता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा लगाये गये आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-4906 दिनांक-27.09.2023 द्वारा श्रीमती कुमारी से लिखित अभिकथन की माँग किये जाने पर उनके पत्रांक-731 दिनांक-10.11.2023 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1718 दिनांक-07.04.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरोद्ध करने की शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित शास्ति को निरस्त किये जाने हेतु श्रीमती कुमारी के पत्रांक-201 दिनांक-21.04.2026 द्वारा पुनर्विचार याचिका विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-1718 दिनांक-07.04.2026 द्वारा अधिरोपित शास्ति पर श्रीमती बबीता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति बारसोई, कटिहार से प्राप्त पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

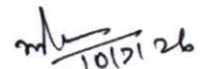

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-133/2023- **3701**

पटना-15 दिनांक :- 13.07.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

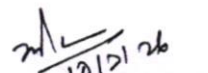

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-133/2023- **3701**

पटना-15 दिनांक :- 13.07.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, अररिया/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया/ कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधानआप्त सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी(स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती बबीता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति बारसोई, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ईमेल/
निबंधित